झारखण्ड सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु मेघा सूची तैयार करने के लिए MCI PG Medical Education Regulation, 2000 (Amended upto 8th February, 2016) के संगत अवतरण इस प्रकार हैं— "The Clause 9 under the heading SELECTION OF POST GRADUATE STUDENTS, as amended vide notification No.- MCI.18 (1) 2010-Med/49070 dated 21st December 2010, following shall be added after sub clause (IV) which is as under, in terms of notification dated 15.02.2012"-

"Provided that in determining the merit of candidates who are in service of Government/public authority, weightage in the marks may be given by the Government/Competent Authority as an incentive at the rate of 10% of the marks obtained for each year of service in remote and/or difficult areas upto the maximum of 30% of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test, the remote and difficult areas shall be as defined by State Government/Competent authority from time to time."

Clause 9, sub clause VII में निम्नांकित प्रावधान है-

VII. 50% of the seats in Post Graduate Diploma Courses shall be reserved for Medical Officers in the Government service, who have served for at least three years in remote and/or difficult areas. After acquiring the PG Diploma, the Medical Officers shall serve for two more years in remote and/or difficult areas as defined by State Government/Competent authority from time to time.

वर्त्तमान में विभागीय संकल्प सं0—154 दिनांक—11.04.16 एवं WP(C) No.- 85/2016 (रोहित केशव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक—15.03.16 को झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य चिकित्सा सेवा में 3 वर्ष से अधिक से कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों को पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील 8047/2016 में दिनांक—16.08. 16 को पारित आदेश के फलस्वरूप राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम में तीन वर्ष से अधिक से कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ—साथ सभी डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बनाई जा रही मेधा सूची में भी दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत एवं कुल अधिकतम 30 प्रतिशत की अधिमानता दे सके।

राज्य में चिकित्सकों की कमी और राज्य चिकित्सा सेवा को आर्क्षक बनाने के लक्ष्य से डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ—साथ डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मेधा सूची बनाने में राज्य चिकित्सा सेवा अन्तर्गत गैर—शहरी क्षेत्रों (अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के बाहर) में कार्यरत चिकित्सकों को ऊपर वर्णित Clause 9 Sub Clause IV के अनुरूप अंकों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एवं अधिकतम 30 प्रतिशत की अधिमानता की स्वीकृति दी जाती है।

विभागीय संकल्प संख्या—154 दिनांक—11.04.16 इस हद तक संशोधित किया जाता है।

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(सुधीर विध्याठी) । सरकार के अपर मुख्य सचिव

143(9)

Nidhi